LL.B.6SEM. C.P.C.

REPRESENTATIVE. SUIT.ORDER.1RULE.8
प्रतिनिधि वाद का अर्थ--

BY.BANSHLOCHAN PRASAD.
Assistant.Professor
NGB(DU).PRAYAGRAJ.

Scanned with CamScanner

प्रतिनिधिक वाद का अर्थ – प्रतिनिधिक वाद एक ऐसा वाद है जो एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा अपनी ओर से तथा वाद में सामान्य हित धारक अन्य व्यक्तियों की ओर से प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश 1 नियम 8 की प्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित दशाओं की संतुष्टि आवश्यक है –

1. अनेक व्यक्ति,

2. वे वाद में एक ही हित रखते हों,

3. प्रतिनिधिक हैसियत से वाद प्रस्तुत करने की न्यायालय द्वारा अनुमति या निर्देश दिया गया हो,

4. ऐसे व्यक्ति जिनका प्रतिनिधित्व प्रस्तावित हो, को सूचना दी जानी चाहिए।

1. **अनेक व्यक्ति** – प्रतिनिधिक वाद प्रस्तुत करने की प्रथम शर्त अनेक व्यक्तियों का हितबद्ध होना है। अनेक शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नही कराता है, यह शब्द असंख्य या संख्या विहीनता इंगित नही करता।

'**अनेक**' शब्द का सामान्य अर्थ लिया जायेगा, अतः इसका अर्थ व्यक्तियों के समूह से है। यह आवश्यक नही है कि व्यक्तियों की संख्या अवधारण योग्य हो। अतः आवश्यक है कि व्यक्तियों का निकाय पर्याप्त निश्चित हो ताकि न्यायालय वाद में भाग लेने वाले व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित कर सके।

Scanned with CamScanner

2. वे वाद में एक ही हित रखते हों – प्रतिनिधिक हैसियत से वाद लाने वाले व्यक्ति तथा प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों का एक ही हित होना चाहिए | उनके हित सामान्य होना चाहिए और उनकी पीड़ा भी सामान्य होना चाहिए अतः हित की सामुदायिकता प्रतिनिधि वाद की एक पूर्व शर्त है |

हित का साम्पत्तिक होना आवश्यक नही है, यह भी आवश्यक नही है कि हित संयुक्त या समवर्ती हो | यह भी आवश्यक नही है कि ऐसे व्यक्तियों का वाद कारण एक ही हो **(स्पष्टीकरण, संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा योजित)**

3. प्रतिनिधिक हैसियत से वाद प्रस्तुत करने की न्यायालय द्वारा अनुमति या निर्देश दिया गया हो – प्रतिनिधिक वाद प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय की अनुमति या निर्देश आवश्यक है | अनुमति न्यायिक विवेक के अधीन है न्यायालय ऐसी अनुमति तभी देगा जबकि वह हित की सामुदायिकता से संतुष्ट हो | न्यायालय वाद-पत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर आँख मूंदकर ऐसी अनुमति नही दे सकता |

4. ऐसे व्यक्ति जिनका प्रतिनिधित्व प्रस्तावित हो, सूचना दी जानी चाहिए – प्रतिनिधिक वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सूचना आवश्यक होगी | सूचना प्रथम चरण होगा | सूचना के अभाव में वाद में पारित आज्ञप्ति केवल उन्ही को आबद्ध करेगी जो अभिलेख पर पक्षकार के रूप में दर्शित हैं |

कुमार वेलु बनाम रामास्वामी, 1933 प्रीवी कौंसिल के वाद में यह अवधारित किया गया कि, "विधितः प्रस्तुत किये गये प्रतिनिधिक वाद में पारित आज्ञप्ति प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी व्यक्तियों पर आबद्ध होगी |"

Scanned with CamScanner

चेट्टियार बनाम अय्यर के वाद में यह निर्णीत किया गया कि प्रतिनिधिक वाद में पारित आज्ञप्ति उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी है जो अभिलेख पर पक्षकार हैं या जिन्हें अभिलेख पर पक्षकार नहीं बनाया गया है किन्तु जिनका प्रतिनिधित्व किया गया है।

न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह आज्ञप्ति पारित करने से पूर्व इस बात से आश्वस्त हो ले कि नोटिस की अपेक्षा पूर्ण कर ली गयी है। न्यायालय को यह देखना चाहिए कि पर्याप्त संचरण रखने वाले समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन किया है या नही।

नोटिस का उद्देश्य सम्बंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनने हेतु आवेदन का अवसर प्रदान करना है।

वाद का शीर्षक – प्रतिनिधिक हैसियत से प्रस्तुत किये वाद में निम्नलिखित दो बातों का अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए –

1. प्रतिनिधिक हैसियत से वाद प्रस्तुत किये जाने का तथ्य वाद-पत्र में स्पष्टतः अभिकथित किया जाना चाहिए।

2. वाद के शीर्षक से भी यह तथ्य स्पष्ट होना चाहिए कि वाद प्रतिनिधिक हैसियत में प्रस्तुत किया गया है।

पक्षकारों का शामिल किया जाना या उनका प्रतिस्थापन – आदेश 1 नियम 8(3) प्रतिनिधित्व प्राप्त व्यक्तियों के हित के संरक्षण का उद्देश्य रखता है। यदि प्रतिनिधित्व प्राप्त व्यक्ति चाहे तो वह न्यायालय के समक्ष वाद में पक्षकार बनने हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदक को यह दर्शाना होगा कि वाद का संचालन उचित हाथों में नही है अतः उसका हित प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता है। ऐसा आवेदन अविलम्ब देना चाहिए।

यदि प्रतिनिधि सतर्क न हो तथा वह वाद में अपेक्षित रूचि न ले

Scanned with CamScanner

यदि प्रतिनिधि सतर्क न हो तथा वह वाद में अपेक्षित रूचि न ले रहा हो तो न्यायालय भी स्वप्रेरणा से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकता है।

प्रतिनिधिक वाद का प्रत्याहरण या उसमे समझौता - आदेश 1 नियम 8(4) के अनुसार किसी प्रतिनिधिक वाद में दावे का कोई भी भाग परित्यक्त नही किया जा सकता। **आदेश 23 नियम 3-B** के अंतर्गत ऐसा वाद प्रत्याहृत भी नही किया जा सकता है।

ऐसे वाद में कोई करार, संतुष्टि या समझौता भी अभिलिखित नही की जा सकती। ऐसा कुछ करने के लिए हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस देना होगा, यह नोटिस वादी के व्यय पर दिया जाएगा। नोटिस निजी रूप में तामील किया जा सकता है या उसका सार्वजनिक प्रकाशन किया जा सकता है।

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को राय देने या कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति (आदेश 1 नियम 8-A) – नियम 8-A एक नया उपबंध है जो संहिता में **1976** के संशोधन द्वारा अन्त:स्थापित किया गया। यह न्यायालय को वैवेकीय शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय किसी वाद में विवाद्यक किसी विधि के प्रश्न पर हितबद्ध किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय को अपनी राय जाहिर करने या कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकता है।

एक या अधिक वादी गण या प्रतिवादी गण का अन्यों के लिए उपसंजात होना [आदेश 1 नियम 12(1)] – नियम 12(1) के अनुसार वादी गण या प्रतिवादी गण एक या अधिक व्यक्तियों को जो स्वयं ही पीड़ित हो, न्यायालय में उपस्थित होने या कार्य करने या अभिवाक करने के लिए प्राधिकत कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

ऐसे वाद में कोई करार, संतुष्टि या समझौता भी अभिलिखित नही की जा सकती | ऐसा कुछ करने के लिए हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस देना होगा, यह नोटिस वादी के व्यय पर दिया जाएगा | नोटिस निजी रूप में तामील किया जा सकता है या उसका सार्वजनिक प्रकाशन किया जा सकता है |

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को राय देने या कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति (आदेश 1 नियम 8-A) – नियम 8-A एक नया उपबंध है जो संहिता में **1976** के संशोधन द्वारा अन्त:स्थापित किया गया | यह न्यायालय को वैवेकीय शक्ति प्रदान करता है | न्यायालय किसी वाद में विवाद्यक किसी विधि के प्रश्न पर हितबद्ध किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय को अपनी राय जाहिर करने या कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकता है |

एक या अधिक वादी गण या प्रतिवादी गण का अन्यों के लिए उपसंजात होना [आदेश 1 नियम 12(1)] – नियम 12(1) के अनुसार वादी गण या प्रतिवादी गण एक या अधिक व्यक्तियों को जो स्वयं ही पीड़ित हो, न्यायालय में उपस्थित होने या कार्य करने या अभिवाक करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं |

नियम 12(2) के अनुसार ऐसा प्राधिकार लिखित होगा तथा प्राधिकार देने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे | यह प्राधिकार पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाएगा |

Scanned with CamScanner